राजस्थान सरकार

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/34/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 34 / 2024 अंनवान उमराव सिंह पुत्र सज्जन सिंह राजपूत निवासी मानपुरा बनाम भंवर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत निवासी मानपुरा, भेरूलाल पुत्र छीतर गुर्जर निवासी टाटरड़ा का झोपड़ा, उदयलाल पुत्र देवा लाल खाती निवासी लाडोजी का खेडा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बावत ।

---

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम फत्ता का खेड़ा प.ह. खजूरी आराजी सं. 359, 360, 361, 365, 367, 368, 391 कुल किता 07 रकबा 1.6269 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है, कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाज़पुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है ।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम
(नियम 26)

## अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

उमराव सिंह पुत्र सज्जन सिंह राजपूत निवासी मानपुरा

बनाम

भंवर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत निवासी मानपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 34 /2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म तामील में जारी हु |
|---|---|---|
| 03-04-24 | प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम फत्ता का खेड़ा प.ह. खजूरी आराजी सं. 359, 360, 361, 365, 367, 368, 391 कुल किता 07 रकबा 1.6269 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।<br>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम फत्ता का खेड़ा प.ह. खजूरी आराजी सं. 359, 360, 361, 365, 367, 368, 391 कुल किता 07 रकबा 1.6269 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।<br>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जहाजपुर (शाहपुरा) | |